

19

आदेशानुसार पञ्जावली दिनांक 27-12-19 को पेश हो गई

27 ¹²/₁₉

पञ्जावली पेश हुई वकील पक्षकारों
 अनुपस्थित हैं वकील का वाद उदर हाजिरी
 उदर पेशी में खारिज किया जा चुका
 है इसलिए वकील न-1-प्रार्थना-पत्र का
 कोई कोचिस अर्थ नहीं रह जाया है।
 इसलिए न-1-प्रार्थना पत्र खारिज किया
 जाया है पञ्जावली पेश न करने से
 ही। कोर्ट में सुनाया गया